न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 50/2013 (225 आरटीए) पुसारारम बनाम पुराराम वगै.

पूसाराम पुत्र श्री कोजाराम जाति जाट निवासी खेड़ी सांलवा, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 पूराराम पुत्र श्री गोपाराम,
2 गोपाराम पुत्र श्री हरकाराराम
जाति जाट निवासी खेड़ी चारणां, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भोपालगढ़ हाल तहसील पीपाड़ शहर।

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ दिनांक 31.12.2012 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 159/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
3 रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 159/2012 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष रेस्पों. सं. 1 व 2 ने धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 159/2012 पेश किया गया। जिसमें राजस्व ग्राम खेड़ी चारणा तहसील पीपाड़ शहर के खसरा नं. 25 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा में से रास्ते की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2012 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा खसरा नं. 26 के लिए खसरा नं. 25 में से रास्ता चाहा जा रहा है। प्रार्थीगण रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा खेती के लिए रास्ते की मांग नहीं की है बल्कि ढाणी के लिए रास्ता चाहा है जो कि धारा 251–क के प्रावधानों के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। इस धारा के तहत केवल खेती के परपज से ही रास्ता दिया जा सकता है। खसरा नं. 26 के नजदीक तक पहले से ही रास्ता आता है। इस प्रकरण में पहली तारीख पर ही मौका रिपोर्ट हेतु आदेश कर दिए गए तथा दिनांक 28.12.2012 को मौका रिपोर्ट मंगा ली गई जबकि उस दिन कोई तारीख पेशी नहीं थी। तारीख पेशी दिनांक 31.12.2012 को थी उस दिन अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला कर दिया। अपीलांट को नोटिस चस्पानगी से तामील कराए हैं जो कि पहली बार में नहीं किए जा सकते। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश त्रुटि पूर्ण व विधिक प्रक्रिया की पालना किए बगैर पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को प्रकरण का नोटिस नहीं मिला न ही मकान पर चस्पा किया दिनांक 19.03.2013 को आदेश की नकल प्राप्त होने पर आदेश की जानकारी हुई। प्रथम जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 को स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी बहस में कथन किया कि ग्राम खेड़ी चारणा के खसरा नं. 26 जो कि रेस्पो. सं. 1 व 2 के पिता गोपाराम के खातेदारी की भूमि है तथा इस खसरे में रहवासीय ढाणी भी बनी हुई हैं। खसरा न. 26 व कटाणी रास्ताा खसरा नं. 17 गै. मु. रास्ता के बीच खसरा नं. 25 अपीलांट की खातेदारी का खेत है जिसमें से केवल 52 फुट रास्ते के लिए आवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने तदनुसार केवल 53 फुट लंबा व 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया है। जो रेस्पो. सं. 1 व 2 के लिए खेती के साथ–साथ ढाणी में आने जाने के लिए भी काम आएगा। रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है एवं राशि अदा की जा चुकी है।

6 रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को देखते हुए काउंटर शपथ पत्र द्वारा खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुए अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि यह प्रकरण धारा 251–क में कवर नहीं होता है क्योकि खेती के परपज से रास्ते की मांग नही की गई है। इस तथ्य की पुष्ठि के लिए प्राथीगण के प्रार्थन पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि प्रार्थीगण का निवेदन है कि ग्राम खेड़ी चारणां के खसरा नं. 26 जो कि मेरे पिताजी गोपाराम के खातेदारी की भूमि है तथा इस खसरे में रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है। जिस खसरे में आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं हैं। इस आवेदन से स्पष्ट होता है कि रास्ते की मांग खसरा नं. 26 के लिए की गई है जो कि कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण की ढाणियां भी बनी हुई होना अंकित किया है अतः रास्ते की मांग केवल ढाणियों के लिए नहीं बल्कि कृषि भूमि के लिए है तथा ढाणियों के लिए भी यह रास्ता काम आएगा। अतः यह प्रकरण धारा 251–क में पूर्णतया कवर होता है। अपीलांट अधिवक्ता ने तामील के संबंध में भी यह बिंदु उठाया है कि चस्पानगी से तामील बताई है पहली बार चस्पानगी से तामील कराना विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस प्रकरण में अपीलांट को चस्पानगी से तामील होना अधीनस्थ न्यायालय ने माना है अतः यह बिंदु मात्र तकनीकी प्रतीत होता है।

9 प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया। मोका रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है तथा जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है। मौका रिपोर्ट के संबंध में अन्य कोई आपत्ति अपीलांट ने नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अपीलांट अधिवक्ता द्वारा जो बिंदु उठाए हैं वे मात्र तकनीकी प्रतीत होते हैं अतः अपील खारिज योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2012 यथावत रखा जाता है।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर